



प्रस्तुती दिनांक 23/2/2017

8

रा.रा. श्रीमान अमर-अन्युक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय में
२१/२/१७ म.प्र.

1. कैलाश पिता स्व. श्री किशनलाल सोनी
2. दौलत पिता स्व. श्री किशनलाल सोनी
3. चन्दूलाल पिता स्व. श्री किशनलाल सोनी
4. मुकेश पिता स्व. श्री किशनलाल सोनी
5. श्रीमती सोदराबाई बेवा स्व. श्री किशनलाल सोनी
सभी निवासी-538, मेनरोड़ बिजलपुर इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. राजेश पिता स्व. श्री कन्हैयालालजी सोनी
उम्र-49 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार एवं कृषि
2. प्रमोद पिता स्व. श्री कन्हैयालालजी सोनी
उम्र-45 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार एवं कृषि
3. श्रीमती वत्सला बेवा स्व. श्री कन्हैयालालजी सोनी
उम्र-74 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार एवं कृषि
तीनो निवासी - 479, बिजलपुर, इन्दौर (म.प्र.)
4. श्यामलाल पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी सोनी
उम्र-वयस्क, व्यवसाय - व्यापार एवं कृषि
निवासी-नीम चौक के पास बिजलपुर इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र :- म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा
32 के अन्तर्गत :-

प्रार्थीगणों की ओर से सादर निवेदन इस प्रकार हैं कि :-

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील क्रं. 04/अपील/116-117 में पारित आदेश दिनांक 8/2/2017 से पीड़ित एवं दुःखी होकर सदर

..... 2 पर

Amra

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

४

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 972-पीबीआर/17

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-2-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आपत्ति आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदकगण की ओर से दिनांक 7-11-16 को प्रस्तुत अपील ज्ञापन के उपरांत दिनांक 15-11-2016 को अनावेदकगण की ओर से काउण्टर अपील प्रस्तुत की गई है जो कि समय सीमा में है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>